

न्यायालय: सिविल जज(सी0डि0) जलेसर, एटा।  
मूलवाद संख्या-33/2018  
शिवशंकर-----बनाम-----लालाराम

**13.01.2023**

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार पर वादी अनुपस्थित है। वादी द्वारा उक्त वाद प्रतिवादी के विरुद्ध योजित किया गया था। आदेश पत्र के अवलोकन से विदित होता है कि पत्रावली वास्ते एक पक्षीय साक्ष्य हेतु नयत है। वादी अनुपस्थित हैं न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा न ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह मूल वाद वादी की अनुपस्थिति में खारिज किये जाने योग्य है।

**आदेश**

मूल वाद वादी की अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

सिविल जज (सी0डि0)  
जलेसर, एटा।